

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना  
पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 443/2022 दायर दिनांक 28.11.2022

**वादीगण**

1. धन्नाराम पुत्र हनुमानाराम उम्र 37 वर्ष
2. कुम्भाराम पुत्र हनुमानाराम उम्र 29 वर्ष  
समस्त जाति जाट निवासीगण बनाम  
खोजास, तहसील डीडवाना जिला  
नागौर राज0।

**प्रतिवादी**

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरुस्ती, बन्टवारा व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

**उपस्थित:-**

स्वयं वादी धन्नाराम पुत्र हनुमानाराम।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 14.03.2023

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है मौजा सरहद ढिगारिया पटवार हल्का खोजास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 25 रकबा 2.2900 हैक्टे0 की संयुक्त खातेदारी की भूमि वादीगण की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28.09.2022 से उक्त भूमि नरेन्द्रदान पुत्र शंकरदान से खरीदसुदा व कब्जासुदा है।

यह है कि वाकै सरहद ढिगारिया के खेत खसरा सं0 25 रकबा 2.2900 हैक्टे0 भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर खसरा सं0 30 रकबा रास्ता भूमि अवस्थित है। उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर खसरा सं0 30 की भूमि में से ना होकर के वादीगण के खेत खसरा सं0 25 की भूमि में है। इसलिए वादीगण के खेत खसरा सं0 25 रकबा 2.2900 हैक्टे0 में से रास्ता भूमि करीब 2.00 बीघा अनुसूचि "अ" में दर्शित मार्क ए से बी कम की जानी व उसकी जगह वादीगण के कब्जा काशत की उक्त रास्ता खसरा सं0 30 की 2.00 बीघा भूमि अनुसूचि "अ" में दर्शित मार्क सी से डी की खातेदारी वादीगण के हक में घोषित होने योग्य है।

यह है कि नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" में दर्शित मार्क सी से डी मौके पर कोई रास्ता मौजूद ना होकर के मार्क ए से बी वादीगण की भूमि खेत खसरा सं0 25 रकबा 2.2900 हैक्टे0 में से रास्ता मौके पर आवागमन का मौजूद है। जिस बाबत हाल के समय में वादीगण ने प्रतिवादी से सम्पर्क करके कहा कि उक्त खेत खसरा सं0 25 रकबा 2.2900 हैक्टे0 में से अनुसूचि "अ" में दर्शितानुसार मार्क ए से बी भूमि को रास्ता भूमि घोषित की जावे व उसकी जगह रास्ता खसरा सं0 30 की भूमि मार्क सी से डी 2.00 बीघा भूमि को वादीगण की घोषित की जावें। जिस पर प्रतिवादी ने वादीगण को कहा कि आप सक्षम न्यायालय में वाद-पत्र प्रस्तुत करके ही ऐसा करा सकते हो अन्यथा मार्क सी से डी पर से आपको बेदखल करने की कार्यवाही करूंगा। जिससे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात को देखते हुए वादीगण की और से विरुद्ध प्रतिवादी यहवाद-पत्र वास्ते घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का लाजमी होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।



सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)



प्रार्थना वादीगण निम्न प्रकार है।

यह है कि मौजा सरहद ढिगारिया पटवार हल्का खोजास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगसर तहसील:- डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं० 25 रकबा 2.2900 हैक्टे० भूमि में अनुसूचि "अ" के मार्क ए से बी 2.00 बीघा भूमि को रास्ता भूमि घोषित की जाकर वादीगण के उक्त खेत खसरा सं० 25 रकबा 2.2900 हैक्टे० में से कम की जावें तथा इसकी जगह वादीगण के कब्जा काश्त की उक्त रास्ता खसरा सं० 30 की 2.00 बीघा भूमि अनुसूचि "अ" में दर्शित मार्क सी से डी की खातेदारी वादीगण के हक में घोषित की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक-रीडर/2023/187 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार दावा की पुष्टि होती है। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया, वाद के साथ पेश दस्तावेजात तथा तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अवलोकन से वादी का वाद पुष्ट होता है। अतः वाद वादी का डिक्री सादर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

—:आदेश :-

मौजा सरहद ढिगारिया पटवार मण्डल खोजास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगसर तहसील डीडवाना में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पत्र क्रमांक रीडर/2023/187 दिनांक 10.03.2023 में वर्णित संलग्न नजरी नक्शानुसार खेत खसरा सं० 25 रकबा 2.2900 हैक्टे० के दक्षिणी पश्चिमी दिशा पर दर्ज कटाणी रास्ता खसरा सं० 30 के वर्तमान अंकन के स्थान पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट में वर्णित मार्क CAFDG में वर्णितानुसार परिवर्तित/तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। खसरा सं० 25 रकबा 2.2900 हैक्टे० उक्त परिवर्तित तरमीम के पश्चात मार्क ABC रकबा 2.00 हैक्टे० तथा मार्क FED रकबा 0.29 हैक्टे० तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वादी के कब्जा काश्त में रहेगा। खसरा सं० 30 का रकबा बदस्तूर रहेगा।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक रीडर/2023/187 दिनांक 10.03.2023 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीतू कुल्हरी R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाडीडवानागौर

उक्त निर्णय आज दिनांक 14.03.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(जीतू कुल्हरी R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाडीडवानागौर

डिक्री व मुकदमों में इवतदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : जीतू कुलहरी, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 443/2022 दायर दिनांक 28.11.2022

## वादीगण

1. धन्नाराम पुत्र हनुमानाराम उम्र 37 वर्ष
2. कुम्भाराम पुत्र हनुमानाराम उम्र 29 वर्ष बनाम  
समस्त जाति जाट निवासीगण खोजास,  
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रतिवादी  
तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, रेकॉर्ड दुरुस्ती, बन्तवारा व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 14.03.2023  
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई स्वयं वादी धन्नाराम पुत्र हनुमानाराम मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, मौजा सरहद डिगारिया पटवार मण्डल खोजास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगसर तहसील डीडवाना में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पत्र क्रमांक रीडर/2023/187 दिनांक 10.03.2023 में वर्णित संलग्न नजरी नक्शानुसार खेत खसरा सं0 25 रकबा 2.2900 हैक्टे0 के दक्षिणी पश्चिमी दिशा पर दर्ज कटापी रास्ता खसरा सं0 30 के वर्तमान अंकन के स्थान पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट में वर्णित मार्क CAFDG में वर्णितानुसार परिवर्तित/तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। खसरा सं0 25 रकबा 2.2900 हैक्टे0 उक्त परिवर्तित तरमीम के पश्चात मार्क ABC रकबा 2.00 हैक्टे0 तथा मार्क FED रकबा 0.29 हैक्टे0 तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वादी के कब्जा काशत में रहेगा। खसरा सं0 30 का रकबा बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक रीडर/2023/187 दिनांक 10.03.2023 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमों के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.03.2023 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)